

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1706

जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022/25 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है।

हाई एनालिसिस उर्वरकों के उपयोग में कमी

1706. श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:
श्री एम.वी.वी.सत्यनारायण:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार की आयात पर भारत की भारी निर्भरता को देखते हुए हाई एनालिसिस उर्वरकों-विशेषकर यूरिया, डायअमोनियम फास्फेट (डीएपी) और म्यूरिएट ऑफ पोटेश (एमओपी) पर किसानों की निर्भरता को कम करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार की योजना इन हाई एनालिसिस उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों के उपयोग अथवा अन्य सतत उपायों को प्रोत्साहित करने की है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने आयात पर यूरिया की निर्भरता को कम करने के लिए देश में यूरिया और डीएपी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं;
- (ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (च) देश में यूरिया और डीएपी के विनिर्माण के लिए कितनी मात्रा में कच्चे माल का आयात किया जाता है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(भगवंत खुबा)

(क): भारत सरकार ऑर्गेनिक उर्वरक तथा जैव-उर्वरकों के संयोजन में मृदा परीक्षण आधारित सिफारिशों के आधार पर उर्वरकों के संतुलित तथा विवेकपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोषकतत्वों की उचित खुराकों पर सिफारिशों के साथ-साथ मृदा उर्वरता स्थिति (पोषक तत्व की स्थिति पर मृदा परीक्षण आधारित जानकारी) से अवगत कराता है।

भारत सरकार ने हाई एनालिसिस उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुकर बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। अपने संशोधन के साथ पठित एनआईपी - 2012 के तहत, कुल 6 नई यूरिया इकाइयों को स्थापित किया गया है। ये मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III यूरिया इकाई, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई और हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी हैं। इन इकाइयों में प्रत्येक इकाई की यूरिया उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अतः इन दोनों इकाइयों ने मिलकर देश की वर्तमान स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटी प्रतिवर्ष का योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से 12.7 एलएमटी प्रतिवर्ष का नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके एफसीआईएल की तलचर इकाई का पुनरुद्धार करने के लिए 28 अप्रैल 2021 को एक विशेष नीति अधिसूचित की गई है।

स्वदेशी यूरिया उत्पादन को इष्टतम करने के उद्देश्यों में से एक के साथ भारत सरकार ने 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी) - 2015 अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 के कार्यान्वयन से मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाइयों से अतिरिक्त उत्पादन हुआ है जिसके कारण 2014-15 के दौरान हुए वास्तविक उत्पादन की तुलना में यूरिया के वास्तविक उत्पादन में 20-25 एलएमटीपीए की वृद्धि हुई है।

भारत सरकार ने खनिज उर्वरकों से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:-

- i. उर्वरक विभाग ने मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड यूनिट-II, बांदा सागर, मध्य प्रदेश को 1,20,000 एमटी प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता के साथ डीएपी/एनपीके के उत्पादन की अनुमति दी।
- ii. उर्वरक विभाग ने पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड को जेडएसीएल गोवा संयंत्र की 2 ट्रेनों का उपयोग करके 8 एलएमटी प्रति वर्ष अतिरिक्त डीएपी/एनपीके मिश्रित उर्वरक का निर्माण करने की अनुमति दी।
- iii. आरसीएफ, थल को 5 एलएमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक नये डीएपी/एनपीके संयंत्र की अनुमति दी गई है और एफएसीटी, कोच्चि ने भी 5.5 एलएमटी की वार्षिक क्षमता के साथ एक डीएपी/एनपीके संयंत्र की योजना बनाई है।
- iv. 25.10.2021 से 31.3.2022 तक डीएपी के उत्पादन/आयातों पर 'नो प्रॉफिट/नो लॉस' आधार पर 8000 रु. की सीमा के साथ अतिरिक्त लागत प्रदान की गई है।
- v. पीडीएम अथवा शीरे से प्राप्त पोटाश (0-0-14.5-0) को एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किया गया है।

- vi. एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, पर खरीफ और रबी 2022 के लिए मालभाड़ा राजसहायता लागू की गई है।
- vii. खान मंत्रालय, जीएसआई, एमईसीएल, फैगमिल और संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत में डीएपी और अन्य उर्वरकों के कच्चे माल के लिए खनिजों की खोज एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) और (ग): सरकार ऑर्गेनिक तथा जैव-उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) तथा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) को कार्यान्वित कर रही है। पीकेवीवाई स्कीम के तहत, किसानों को आदानों (जैव उर्वरक, जैव-कीटनाशक, वर्मी-कम्पोस्ट, वानस्पतिक अर्क आदि) हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 31000 रुपए/हेक्टेयर/3 वर्ष सीधे किसानों को प्रदान किये जाते हैं जबकि एमओवीसीडीएनईआर के तहत, ऑर्गेनिक तथा जैव-उर्वरकों सहित ऑन फार्म/ऑफ फार्म दोनों प्रकार के ऑर्गेनिक आदानों के लिए 32500 रुपये हेक्टेयर/3 वर्ष की दर पर सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों (सीपीएसयू) नामतः नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) तथा राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने देश में 8 और नैनो यूरिया संयंत्र (44 करोड़ बोतल प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाले) स्थापित करने के लिए नैनो यूरिया की प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने हेतु इफको के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ड.): कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड तथा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एफसीआईएल) के साथ संयुक्त उद्यम में आरसीएफ तलचर, अंगुल जिले, ओडिशा में कोयला गैसीकरण मार्ग पर आधारित 12.70 लाख एमटी यूरिया विनिर्माण संयंत्र की स्थापना कर रहा है। इस संयंत्र के सितम्बर, 2024 तक शुरू हो जाने की संभावना है।

आरसीएफ रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र स्थित अपनी थल इकाई पर एनपीके फर्टिलाइजर्स संयंत्र की स्थापना की संभावना भी तलाश रहा है।

(च): विगत तीन वर्षों हेतु डीएपी के आयात को दर्शाती तालिका निम्नानुसार है:-

	(आंकड़े लाख मी.टन में)			
वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 नवम्बर तक
मात्रा	48.70	48.82	54.62	47.81

